

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 215/2016/कोटा

मैसर्स पूनमचन्द हेमराज जैन,
रामगंजमण्डी, कोटा.

.....अपीलार्थी

बनाम्,
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-प्रथम, कोटा.

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा, उपराजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 09/08/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 104/वैट/2014-15/कोटा में पारित आदेश दिनांक 04.11.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, रामगंजमण्डी, कोटा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 66 के तहत आरोपित कुल मांग राशि रुपये 1,88,285/- को यथावत् रखा गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 04.07.2014 को किया जाकर अपीलार्थी को कर निर्धारण वर्ष 2013-14 व 2014-15 से सर्वेक्षण दिनांक तक के ट्रेडिंग अकाउंट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.07.2014 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ट्रेडिंग अकाउण्ट प्रस्तुत किये। प्रस्तुत ट्रेडिंग अकाउण्ट की जांच में कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी द्वारा बिलों में कॉट-छॉट की गई है तथा उनके द्वारा सर्वेक्षण सूची प्रस्तुत नहीं की गई है व ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी नहीं किये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा किये गये इस कृत्य को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर अपवंचन मानते हुए अपीलार्थी पर शास्ति आरोपण हेतु अधिनियम की धारा 61 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसकी पालना में व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी पर कुल मांग राशि रुपये 1,80,285/- का आरोपण कर कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.08.2014 पारित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्होंने व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण आदेश को यथावत् रखा। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।



निरन्तर.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में जिन दो बिलों में कौट-छॉट का बताया गया है, वह सर्वेक्षण के पूर्व ही हो चुकी थी। उन्होंने कथन किया कि उक्त का इन्द्राज लेखा पुस्तकों में इस कारण नहीं किया कि लेखा पुस्तकें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिग्रहित की गयी थी। कर निर्धारण अधिकारी का यह लिखना कौट-छॉट माल की कमी को बराबर करने के लिये किया है, जबकि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से माल कम नहीं पाया गया। उन्होंने कथन किया कि जिस दिन कर निर्धारण अधिकारी अवकाश पर थे, उसी दिन कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.08.2014 पारित किया गया, जो कि एक अविधिक आदेश होने से अपास्त किये जाने योग्य है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
5. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवसायी द्वारा वक्त सर्वेक्षण सर्वे फर्म की बहियात प्रस्तुत नहीं की गयी है। उन्होंने कथन किया व्यवसायी ने करापवचन की मंशा से माल का संधारण लेखा-पुस्तकों में नहीं किया है। आगे उन्होंने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवसायी द्वारा सर्वेक्षण दिनांक 04.07.2014 को वक्त सर्वेक्षण अपने ट्रेडिंग अकाउण्ट्स प्रस्तुत नहीं किये। तत्पश्चात् दिनांक 08.07.2014 को व्यवसायी द्वारा वर्ष 2013-14 व 2014-15 का सर्वेक्षण दिनांक तक के ट्रेडिंग अकाउण्ट्स प्रस्तुत किये गये, जिनकी जांच में कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि बिल संख्या 16 व 18 में व्यवसायी द्वारा कौट-छॉट की गई है। इसके साथ ही व्यवसायी द्वारा ऑडिट रिपोर्ट पर भी हस्ताक्षर करने से मना किया गया।
7. हस्तगत प्रकरण में व्यवहारी द्वारा अपने संव्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्शाये नहीं जाकर छुपाये गये हैं। इस प्रकार न्यायिक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 23 वीएसटी 249(एससी) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम तमिलनाडू सरकार व वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड (20) 2012, 32 टीयूडी के अनुसार व्यवहारी द्वारा जब सभी प्राप्तियां नियमित लेखा पुस्तकों में इन्द्राज नहीं होना पाया जाये, तो उस पर शास्ति का आरोपण किया जा सकता है। अपीलीय अधिकारी ने हस्तगत प्रकरण में प्रत्येक बिन्दु पर विशद विवेचन करते हुए आदेश पारित किया है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2015 में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
8. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है, तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य